संख्या-163/2024/I/826408/2024/71-1001/50/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 23 दिसम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/306, दिनांक 29.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 1423.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि जकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य पुनरीक्षित लागत रू0 28460.53 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 27037.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा परियोजना की बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 1423.03 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-65- मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1400.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-789-20-00- मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 296.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1696.00 लाख के सापेक्ष **परियोजना की 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 1423.03 (रू0 चौदह करोड़ तेईस लाख तीन हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्पलीशन, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. मूल परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनांक 13.12.2013 एवं अंतिम पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-26/2020/658/71-1-2020-जी-592/2012, दिनांक 03.03.2020 में उल्लिखित शेष शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला (*1*) रुपये 14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031056500 मेडिकल कालेज , गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 23,03,000 (रुपये तेईस लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892000 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या का बाल रोग चिकित्सा संस्थान **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।